न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
005/2020(रसद) (GCMS 2020/00092)	03.03.2020	14.12.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

चन्दन दर्जी पुत्र रूपलाल दर्जी निवासी पुनावली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

विपक्षी

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक शिवराम चौधरी, बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 31.01.2020 को अपराह्न 6.00 बजे जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को दूरभाष पर प्राप्त सूचना के आधार पर आदेशानुसार आवेदक शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक बडीसादडी पुलिस थाना निकुंभ पहुँचे। पहुँचने पर थानाधिकारी पुलिस थाना निकुंभ ने तहरीर प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुखबीर की सूचना के आधार पर श्मशान घाट के सामने, निकुंभ दिनेश पुत्र कालुलाल महाजन के घर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त तहरीर को पढकर आवेदक मौके पर दिनेश पुत्र कालुलाल महाजन के घर पहुँचें। वहां पर पूर्व में थानाधिकारी निकुंभ द्वारा अवैध व्यापार हेतु संग्रहित घरेलू गैस सिलेण्डर व कमर्शियल गैस सिलेण्डर के पास जाब्ता अशोक कान्स्टेबल बेल्ट नंबर 810 मौके पर मिले। मौके पर

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

मुल्जिम चन्दन दर्जी पुत्र रूपलाल दर्जी मिले। घर का मुआयना करने के पश्चात् घर के मालिक के बारे में पूछताछ करने पर यह घर दिनेश पुत्र कालुलाल महाजन का होना बताया गया। चन्दन दर्जी पुत्र रूपलाल दर्जी से पूछताछ करने पर इन्होनें उक्त घर में स्वयं द्वारा गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व अवैध व्यापार करना बताया गया। उपस्थित मुल्जिम चन्दन दर्जी पुत्र रूपलाल दर्जी से गैस भण्डारण व रिफिलिंग के आवश्यक दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कियें। मौके पर घरेलू गैस के 13 सिलेण्डर 1 रिफिलिंग मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल लगे हुये पाये गये। मुल्जिम चन्दन दर्जी पुत्र रूपलाल दर्जी से अवैध घरेलू गैस के भण्डारण व अवैध गैस रिफिलिंग के बारे में पूछताछ करने पर इन्होने घरेलू गैस के अवैध भण्डारण व अवैध गैस रिफिलिंग का व्यापार करना स्वीकार किया। मौके पर फर्द तलपट्टी बनाकर मौतबिरान के समक्ष मैसर्स श्री सांवरिया इण्डेन गैस एजेंसी निकुंभ के प्रतिनिधि आबिद पुत्र बाबूशाह जाति मुस्लिम निवासी निकुंभ तहसील बडीसादडी को बुलाकर उनके कम्प्यूटराईज्ड कांटे से जब्तशुदा 13 सिलेण्डर 1 रिफिलिंग मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल उक्त गैस एसेन्सी की सुपुर्दगी में दिये जाकर मौतबिरान के रुबरु हस्ताक्षर करवाये गये व निर्देशित भी किया गया कि उक्त गैस सिलेण्डरों का अपने स्टॉक में इन्द्राज कर अपने गोदाम में सुरक्षित रखेगें तथा वक्त आवश्यकता पडने पर प्रस्तुत करेंगे। फर्द तलपटी फर्द मौके के साथ संलग्न की गई है। दिनेश पुत्र कालुलाल महाजन के घर में अवैध व्यापार करने वाले चन्दन दर्जी पुत्र रूपलाल दर्जी से मांगने पर अवैध रूप से भण्डारित घरेलू गैस व गैस रिफिलिंग के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः एल.पी.जी. आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन पाये जाने पर इस आदेश के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आवेदक द्वारा दिनेश पुत्र कालुलाल महाजन के घर से 13 सिलेण्डर 1 रिफिलिंग मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल कब्जे में लिये गये जिसका विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार है। मौके पर मौतबिरान के समक्ष फर्द जब्ती मय सुपुर्दगी नामा तैयार कर फर्द मौके के साथ संलग्न की गई। फर्द मौका मौतबिरान के समक्ष लिखा गया, पढाकर सुनाकर सही जानकर बिना दबाव के हस्ताक्षर किये गये। चन्दन दर्जी पुत्र रूपलाल दर्जी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। अन्त में प्रार्थना की गई कि जब्तशुदा 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 रिफिलिंग मोटर मयं 2 पाईप व 2 नोजल को राजसात किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 23.03.2021 को विपक्षी की और से उनके अधिवक्ता आरएस चूण्डावत हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.12.2021 को अधिवक्ता विपक्षी एवं विपक्षी के स्वयं के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार ने प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन कर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 31.01.2020 को जांच करने पर विपक्षी विपक्षी के कब्जे में 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 रिफिलिंग मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 रिफिलिंग मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी की और से किसी भी प्रकार से आवेदन का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 1

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिफिलिंग मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **85.4 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 31.01.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी चन्दन दर्जी पुत्र रूपलाल दर्जी से दिनेश पुत्र कालुलाल महाजन के घर से दिनांक 31.01.2020 से जब्त शुदा 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 रिफिलिंग मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **85.4 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 14.12.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official